

नई दिल्ली राजधानी

अब रियायती दरों पर होगा इलाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जून।

काफ़ी विवाद के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में रियायती दरों पर इलाज के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब 108 निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को कम दामों पर इलाज मिल सकेगा।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और सरकारी अस्पतालों में कम जगह को देखते हुए मरीजों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। ये आदेश

नई दिल्ली 108 निजी अस्पतालों के लिए दिल्ली सरकार का आदेश जारी

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए हैं। इन अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के मरीजों को रियायती दरों पर इलाज होगा। किस मरीज को किस अस्पताल में कितनी राहत होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के नाम और दी जाने वाली राहत के आंकड़े के साथ यह आदेश जारी किया है। इससे मरीजों व निजी अस्पतालों के बीच

असमंजस को स्थिति को भी दूर करने की कोशिश की गई है। आदेश में जनता को यह भी समझाने की कोशिश की गई है कि किस निजी अस्पताल में कुल बिस्तर कितने हैं और कितने बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह आंकड़ा सभी 108 अस्पतालों की बिस्तर क्षमता के आधार पर तय किया गया है। अब दिल्ली के अस्पतालों में इस आदेश के मुताबिक ही अस्पतालों को इलाज करना होगा। जनता की सुविधा के लिए इससे पूर्व भी सरकार कई आदेश जारी कर चुकी है।

जनसत्ता संवाददाता लूटपाट के बाद बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या

नई दिल्ली, 22 जून।

सफ़दरजंग एन्क्लेव में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद लक्ष्मी नगर इलाके में भी एक वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और 80 वर्षीय बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक का नाम केपी अग्रवाल है।

शुरुआती जांच के बाद पुलिस को मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं।

दिल्ली में दूसरे दिन फिर वरिष्ठ नागरिक को बनाया गया निशाना

पुलिस आशंका जता रही है कि गला घोंटकर उनकी हत्या की गई है। हत्या रविवार को की गई थी और घर का सारा सामान फैला हुआ था। इसके अलावा उनके कार्यालय की अलमारियां भी खुली हुई मिली हैं। पूर्वी जिला

पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह का कहना है कि मृतक के यहां काम करने वाले कर्मचारियों और नौकरों से पूछताछ की जा रही है। अग्रवाल अकेले यहां रहते थे। उनका बेटा दुबई में व बेटियां अलग शहरों में रहती हैं। पुलिस के मुताबिक, केपी अग्रवाल अकेले ही लक्ष्मी नगर स्थित अपने मकान में रहते थे। आइआइटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कई बड़ी नामी कंपनियों में ऊंचे पद पर काम किया।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
CIN: L14106UP1995PLC019017
पंजी कार्यालय: सेक्टर-128, नोएडा-201304, उ.प्र., टेली.: +91 (120) 4690900, 2470800, फैक्स: +91 (120) 4609464
दिल्ली कार्यालय: 'एज' हाउस' 63, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057, टेली.: +91 (11) 49828500, वेबसाइट: www.jalindia.co.in
ई-मेल: ja.l.investor@jalindia.co.in
शेयरधारकों के लिए सूचना
विषय: निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में लाभांश तथा कम्पनी की इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण
निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, यथा संशोधित ("नियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी को ऐसी सभी इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण करना है जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश दावा-रहित रहा है। ऐसे सभी शेयरधारकों का निष्पक्ष विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.jalindia.com , के निवेशक खंड के अंतर्गत प्रदर्शित है जिन्होंने वित्त वर्ष 2012-13 से अपने लाभांश अभी तक नहीं भुनाये है (अंतिम लाभांश) जो लगातार सात वर्षों से दावा-रहित रही है तथा जिनके शेयरों को आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित किया जाना है। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दावा-रहित लाभांश (अंतिम लाभांश) का दावा करने का उन्हें परामर्श देते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर उक्त नियमावली के अंतर्गत ऐसे सभी शेयरधारकों को वैयक्तिक सूचना तिथि 22 जून, 2020 भेज दी है जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है। यदि 10.8.2020 (आईएफटी 5.00 बजे अप.टी.) तक उपरोक्त सूचना के अनुसार यदि कम्पनी को कोई दावा शेयर होल्डर्स से प्राप्त नहीं होता है तो 30.8.2020 को आपके सभी संबंधित लाभांश को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा। तत्स्थानीय इक्विटी शेयर भी उक्त नियमावली के अनुसार आगे कोई भी सूचना दिए बिना आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित कर दिये जायेंगे।
ऐसी शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों सहित आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों, यदि कोई हो, तो संबंधित शेयरधारक उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट तथा आईईपीएफ की वेबसाइट www.icpf.gov.in पर उपलब्ध पत्रत्र आईईपीएफ-5 में एक अलग आवेदन द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण से उसे वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।
उपरोक्त विषय पर प्रश्नों, यदि कोई हो ईमेल: ja.l.investor@jalindia.co.in को संबोधित की जा सकती है अथवा वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, ए. अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लिमिटेड, 2ई/21, झण्डेवालान एक्ट्टैसन नई दिल्ली-110055, टेली.: +91-11-42541232/ 23541234, info@alankit.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए एम.एम. सिखल संयु. उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव सदस्यता सं०.एफसीएस-3538

SOUTH INDIAN Bank	Regional Office पश्चिम दिल्ली 8/20/White House 2 nd Floor, Bahadur Nagar Road, New Delhi-110055 टेली: 011-23670400, ईमेल: ro0008@sbicb.in, CIN: 650314KL1929PLC0001017
--------------------------	--

निवेश सह नीलामी विक्री सूचना
जैसा कि वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिपत्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी (यहां के बाद एजो वर्णित) ने विभाजन प्रवेश-173025 तथा गारन्टर 1) श्री संजय गुप्ता, पुत्र अमन प्रकाश गुप्ता (निदेशक तथा भी, संजय गुप्ता एचयूएफ के कर्ता की हैसियत में), 2. श्रीमती रीता गुप्ता, पत्नी संजय गुप्ता (निदेशक एवं भी, संजय गुप्ता एचयूएफ के कोर्पोरेटर के रूप में), 3. श्री रमेशगुप्त गुप्ता (निदेशक तथा भी, संजय गुप्ता एचयूएफ के कोर्पोरेटर के रूप में), 4. श्रीमती मानसी गुप्ता, पुत्र संजय गुप्ता (व्यक्तिगत हैसियत से तथा भी, संजय गुप्ता एचयूएफ के कोर्पोरेटर के रूप में), 5. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पुत्र याजू राम, 6. श्रीमती शकुन्तला गुप्ता, पत्नी श्री अमन प्रकाश गुप्ता, सभी निवासी: बी-56, सूरज मल विहार, नई दिल्ली-110092 तथा 7) श्रीमती शशि गंगू, पत्नी पवन कुमार गंगू, निवासी: बी-256, सूरज मल विहार, नई दिल्ली-110092) को मांग सूचना आर.ओ/ई/एचए/एल/ई/एएस/ए/25/2018-19 तिथि 19.7.2018 जारी किया तथा 27.11.2018 को प्रतिपत्ति हित (विचार) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम को भाग 13(4) के अंतर्गत नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित अचल सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया। तथा जैसा कि अज्ञात/रह-देवदार/गारन्टर उर राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यहाँ नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित चल तथा अचल सम्पत्तियों की अपेक्षितित नियमों एवं शर्तों के अधीन आगे के चयन तथा लागतों के साथ 22.6.2020 को र. 15,05,85,887.31/- (रुपय पन्द्रह करोड़ पांच लाख पचास हजार आठ सौ सत्तरवीं तथा पैसे इकत्तरवीं मात्र) को राशि की वस्तुती के लिये यहाँ नीचे वर्णित नियम एवं स्थान पर "जैस है" में "आधार तथा "जो भी जैसा है" शर्त पर निविदा सह नीलामी द्वारा विक्री की जायेगी:

सम्पत्ति के स्वामी का नाम	श्रीमती शशि गंगू
सम्पत्ति का विवरण	श्रीमती शशि गंगू के नाम में उत्तम दी गई अन्य सामान्य सुख-सुविधाओं में सभी अधिकारों के साथ संपात सं. डी-819 न्यू फ्लूइड कॉलोनी, नई दिल्ली में शामिल उस पर स्थित सभी फ्लिटर, राजो-सामान, कनेक्शनों, संरचनाओं के साथ नीचे की सूची भाग 492 एवं याईस में 40% अधिवांशित, इन्डियावेजल तथा इमार्टीवल स्टामिनल अधिकारों के साथ सामूहिक प्रवेश, वैज्ञान तथा स्वीकृति के साथ अधिम मजित तक आगे निर्माण के अधिकार के साथ सम्पूर्ण ज़ोहालद दूरत लत की सम्पत्ति भाग 2206 एवं फोटे (सम्पूर्ण टैरस अधिकार के साथ) का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विवेचि रूप से विवरण उप-रजिस्ट्रार-1, नई दिल्ली के कार्यालय में विक्री प्रलेख सं. 7762 तिथि 4.9.2003 में दिया गया है। चौधड़ी: उत्तर: प्लांट नं. 818, दक्षिण: प्लांट नं. 820, पूर्व: 80 फीट रोड, पश्चिम: 15 फीट चौड़ा सर्जिल रोड।
आरक्षित मूल्य	रु. 6,00,00,000.00/- (रुपय छः करोड़ मात्र)
घरेलू राशि (ईएमडी)	रु. 60,00,000/- (रुपय साठ लाख मात्र)
विक्री की तिथि एवं स्थान	24.7.2020, द सायथ इंडियन बैंक लि., अंचल कार्यालय, डोर नं. 1/18-20, 2रा तल, व्हाईट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055

नियम एवं शर्तें

- सम्पत्ति की विक्री "जैसा है जहाँ है आधार" तथा जो भी जैसा है" शर्त पर की जायेगी तथा बैंक सम्पत्ति के टाइटल, स्थिति अथवा प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य के लिये उत्तरदायी है। प्रस्तुत किये गये विवरण प्रतिपत्त परिस्थितियों के संदर्भ में बैंक की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में रही है तथा बैंक किसी भी गलती, गलत विवरणों अथवा खामियों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रस्तुत निविदाकर्ता निविदा की विक्री सूचना में वर्णित नियमों एवं शर्तों को पढ़कर समझ लें जो बैंक की वेबसाइट (www.southindianbank.com) पर 18, पूरा रोड, किराण, कलाव बाग, नई दिल्ली-1 में करीबन बाग शाखा तथा नई दिल्ली अंचल कार्यालय: 1/18-20, 2रा तल, व्हाईट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में प्रकाशित है तथा साथ ही अनुसूचित सम्पत्ति को देखें तथा उसके क्षेत्रफल, सीमाओं आदि, स्थामित, टाइटल, अधिभारों, सांखिकि स्वीकृतियों, माप आदि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। विक्री में भागीदारी के बाद निविद प्रक्रिया अथवा अनुसूचित सम्पत्ति से संबंधित किसी भी विवाद पर बैंक विचार नहीं करेगा।
- इच्छुक निविदाकर्ता यदि चोटों पहचान/आसार के पते को प्रति प्रस्तुत करें यदि निविदाकर्ता प्राधिकार पर भाग ले रहे हों, तो वे अपने तथा निविदाकर्ता के आईडी कार्ड को प्रस्तुत करें।
- ईएमडी सहित विक्री से संबंधित देय सभी राशिओं का भुगतान "प्राधिकृत अधिकारी द सायथ इंडियन बैंक लि.", के पथ में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने वय्ये डीडी अथवा क्रेडिट बाग शाखा में सरकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के नाम में खाता संख्या 0117073000004456 (आईएफएस कोड SIBL0000117) में आरटीजीएस/एफ्टईएफ्ट द्वारा किया जाएगा।
- इच्छुक निविदाकर्ता 24.7.2020 को 11.30 प्रा. में निविदा के साथ द सायथ इंडियन बैंक लि., दिल्ली अंचल कार्यालय 1/18-20, 2रा तल, व्हाईट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस जमा करें।
- विक्री स्थल पर प्रवेश का अधिकार केवल उन्ही निविदाकर्ता के द्वारा जायेगा जिन्होंने निर्दिष्ट अधिभारों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी को एकाकी इच्छा पर निर्धारित समय के भीतर पुरहवर्ध लिफाफे में निविदा पत्र तथा ईएमडी जमा किये हों।
- प्राधिकृत अधिकार को बिना कारण बताये निलामी को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः प्राधिकृत अधिकारी स्वेच्छा से जमा को गई किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार, निरस्त अथवा वापस लौटा सकते हैं तथा बैंक निविदाकर्ता से इस संदर्भ में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेगा।
- पुहर्वर्ध निविदाओं को 24.7.2020 को 12 बजे दोपहर में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे की मूल्य कोट को गई किसी भी निविदा को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदा को खोलने के बाद उपस्थित निविदाकर्ता को प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर अपने प्रस्ताव को ऊपर बढ़ाने के लिये आपस में इंटर से बिडिंग का अवसर दिया जायेगा।
- सफल निविदाकर्ता को बोली स्वीकृति पत्र की प्राप्ति पर तत्काल 25% बोली राशि (ईएमडी घटाकर) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान विक्री के 15 दिनों के भीतर किया जायेगी अथवा निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सम्पत्ति की राशि विवरण किसी भी विक्री अधिकारी द्वारा जवन कर ली जायेगी तथा किसी निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति को फिर से विक्री की जायेगी। लेकिन, अग्रहर्षय मामलों में प्रतिभूत क्रेडीटर की इच्छा पर समय में बदलती हो सकती है।
- यदि विक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होगी जिन्हें इस बात का ध्यान दिये बिना की सफल निविदाकर्ता ने 25% विक्री राशि प्रेषित किया है, विक्री को निरस्त करने का अधिकार होगा। पुनः यह विक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा भी पुष्टि के अधीन होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक विक्री के अधीन सम्पत्तियों के संदर्भ में सरकार अधिनियम के अधीन विक्री की स्वेच्छा के परिणामों के अधीन होगा।
- अधिम जानकारी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी, क्रेडल बाग शाखा में कार्याधिक के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
- रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 या शाखा प्रबंधक द सायथ इंडियन बैंक लि., क्रेडल बाग शाखा में कार्याधिक के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
- इसे अज्ञात/रह-देवदार/गारन्टरों को यह सूचित करने के लिये एक सूचना जारी जाये कि यदि विक्री की निर्धारित तिथि से पूर्व अन्य लागतों एवं चार्जों के साथ वे बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि 22.6.2020 को र. 15,05,85,887.31/- (रुपय पन्द्रह करोड़ पांच लाख पचास हजार आठ सौ सत्तरवीं तथा पैसे इकत्तरवीं मात्र) की राशि का भुगतान नहीं करते है तो सम्पत्ति की विक्री कर दी जायेगी।

तिथि: 22.06.2020
स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी (मुख्य प्रबंधक)

सतेंद्र जैन सामान्य वार्ड में भेजे गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जून।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन की तबीयत में सुधार है। प्लाज्मा थेरेपी के साथ उनको हाल में आई कोरोना की दवा का डोज भी दिया गया है। इसके बाद उनको ऑक्सीजन से हटा लिया गया है और उनको गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ कुछ ठीक रहा तो उनकी जल्दी ही अस्पताल से घर भेजा जा सकता है।

JAUSS POLYMERS LIMITED CIN: L74899HR1987PLC066065 Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.jausspolymers.com Email: response@jausspolymers.com Tele. No.: 0120-7195236-239. NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 801-802, 8th Floor, Tower-2, Assochek Business Crestera, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Tuesday, the 30th day of June, 2020 inter-alia, to consider and approve the following: 1. To consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2020 along with half yearly statement of Assets & Liabilities; 2. To consider and take on record the Statutory Auditor's Report on Audited Financial Results of the Company for year ended on 31st March, 2020; and 3. To consider and approve any other agenda item as place on Board. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular L1ST/COMP/12/219-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from April 1, 2020 till 48 hour after the declaration of Audited Financial Results. For Jauss Polymers Limited Sd/- Place: Noida Mukesh Kumar Date: 22.06.2020 Company Secretary

Innovative Tech Pack Limited CIN: L74899HR1989PLC032412 Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.itplgroup.com Email: grievance@itplgroup.com Tele. No.: 0120-7195236-239. NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 8th Floor, Tower-2, Assochek Business Crestera, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Tuesday, the 30th day of June, 2020 inter-alia, to consider and approve the following: 1. To consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2020 along with half yearly statement of Assets & Liabilities; 2. To consider and take on record the Statutory Auditor's Report on Audited Financial Results of the Company for year ended on 31st March, 2020; and 3. To consider and approve any other agenda item as place on Board. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular L1ST/COMP/12/219-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from April 1, 2020 till 48 hour after the declaration of Audited Financial Results. For Innovative Tech Pack Limited Sd/- Place: Noida Vishesh Chaturvedi Date: 22.06.2020 Company Secretary

आगरा विकास प्राधिकरण जयपुर हाउस, आगरा
आवश्यक सूचना
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम महुआ खेड़ा आगरा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु रैरा में पंजीयन कराया गया जिसकी सं०-UPREREPJ17203 तथा इसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.09.2018 एवं समाप्ति तिथि 31.10.2018 थी। भवनों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में पंजीयन फार्म प्राप्त किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे, किन्तु नगर क्षेत्र में 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण से भवनों का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं हो सका, जिसके दृष्टिगत स्थल पर कोई कार्य नहीं कराया गया। इस परियोजना के पंजीयन को निरस्त करते हुए पुनः पंजीकरण कराया जाना है। इस सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण की निकट इनर रिंग रोड स्थित, ग्राम महुआ खेड़ा, आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भवन आवंटन हेतु पंजीकरण दिनांक-31.08.2018 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें पंजीकरण की समयवधि दिनांक-31.10.2018 तक बढ़ा दी गयी थी। यह अवधि इस सूचना की प्रकाशन की तिथि से समाप्त मानी जायेगी। (सोमकमल सीताराम) (राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी) संयुक्त सचिव सचिव

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सीआरईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालय: 33-35 त्यागजान मार्केट, नई दिल्ली-110003 टेलीफोन नं.: +91-120-40314100; फैक्स : +91-120-4031672 ई-मेल : investorrelations@nucleussoftware.com वेबसाइट : www.nucleussoftware.com
सूचना
कम्पनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिवेद) नियम, 2016 ("नियम"), यथा संशोधित, के अनुपालन में एतद्व द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के समता अंशों, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उस से अधिक अवधि से गैर-दावाकृत अथवा अदत्त हैं, को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना वांछित है। कम्पनी उन सभी सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके अंश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने हेतु संभाव्य हैं, को उन्हें अपने गैर-दावाकृत लाभांश का दावा करने हेतु व्यक्तिगत सूचना (इलेक्ट्रॉनिक अथवा मौखिक) उनक पंजीकृत ई-मेल आईडी/अन्तिम ज्ञात पते पर प्रेषित कर चुकी /प्रचलित महामारी की स्थिति के कारण जब व्यावहारिक होगा, प्रेषित करेगी। कंपनी ने सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके अंश आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु संभाव्य हैं, का विवरण अपनी वेबसाइट www.nucleussoftware.com पर अपलोड किया है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त वेबसाइट संदर्भित कर गैर-दावाकृत लाभांशों तथा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने हेतु संभाव्य अंशों का विवरण को सत्यापित करें। वे सम्बद्ध अंशधारक को मौखिक रूप में अंश का स्वामित्व रखते हैं और जिनके अंश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हेतु संभाव्य हैं, कृपया ध्यान दें कि अंशों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने पर, मूल अंश प्रमाण पत्र(नो), जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और गैर-परक्राम्य समझा जाएगा। सीमेटरियलाईजड अंशों के मामले में, अंतरित होने हेतु संभाव्य अंशों की सीमा तक, अंशधारकों के खाते से डेबिट किया जाएगा। यदि सम्बद्ध अंशधारक 09 जुलाई, 2020 तक अपने गैर-दावाकृत लाभांश का दावा नहीं करते हैं तो कंपनी, उक्त नियमों के अनुपालन में, अंशधारकों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, अंशों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करेगी तथा इस प्रकार अंतरित अंशों के सम्बन्ध में कंपनी के विरुद्ध कोई दायित्व नहीं होगा। अंशधारक ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंशों के अंतरण पर, ऐसे अंशों पर मिलने वाले सभी अर्जित लाभां सहित, यदि कोई हो, आईईपीएफ प्राधिकरण को पृथक तौर पर फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन कर के, जैसा कि नियमों में निर्धारित है, आईईपीएफ से ही दावा किया जा सकता है, जिसका विवरण आईईपीएफ की वेबसाइट अर्थात www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त मामले के संबंध में किसी भी प्रश्न हेतु, अंशधारक किफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 व 32, फाइनैनीअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, टेलीफोन +91-40-6716 2222, ईमेल: suresh.d@kfintech.com अथवा amit.tomar@nucleussoftware.com से संपर्क कर सकते हैं। कृते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हरता./- पूनम मशीन कम्पनी सचिव

कांन्टिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 301, मेंदू पानाज, परिकान मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), CIN : L67120RJ1990PLC005371, फोन : 0141 2943037, ई.प्रे: continentalsecuritieslimited@gmail.com , वेबसाइट : www.continentalsecuritiesltd.com डाक मतपत्र की सूचना
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 को खंड 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (प्रबंध व प्रशासन)नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के 44 विनियमन (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)सेवी लिमिटेड, सामान्य परिपत्र संख्या 14 /2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 (MCA परिपत्र) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार, कांन्टिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड द्वारा 22 जून 2020 को जारी किया गया है। 19 जून 2020 के नॉटिस में लिखित व्यवसाय के संबंध में विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ई-मेल के माध्यम से डाक मतपत्र को भेजा है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी प्रबंध व प्रशासन) नियम 2014 (संशोधित के नियम 20 और सेवी के विनियमन 44 (आयुर्वार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2016 (संशोधित) के साथ किसी भी वैधानिक संशोधन (पुनः) या पुनः लागू करने (तत्कालीन) समय में लागू होने सहित) के साथ कम्पनी अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग प्रणाली माध्यम से नॉटिस में दिते गये प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है, (सेटुल डिपॉजिटरी सर्विस (डिडिया) लिमिटेड के माध्यम से रिमोट ई-वॉटिंग दी है। कम्पनी प्रबंध और प्रशासन 2014 (नियम) के अनुसार कम्पनी सभी सदस्यों को सूचित करती है- (1) नॉटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान किया जा सकता है। (2) 22 जून 2020 को नॉटिस भेजने की पूर्ण तारीख है। (3) सदस्यों के वॉटिंग अधिकार उनके द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों के अनुपात में कम्पनी के कट-ऑफ की तारीख के रूप में 19 जून, 2020 तक भुगतान किये गये इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगी। (4) दूरस्थ ई-वॉटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने को कट-ऑफ तारीख 19 जून 2020 सदस्य जिसका नाम डिपॉजिटरी की कट ऑफ तारीख पर उपलब्ध है। (5) रिमोट ई-वॉटिंग की अवधि सप्तरात्र 24 जून, 2020 (सूबह 9 बजे) से और गुरुवार 23 जुलाई 2020 (शाम 5:00 बजे) सम्पन्न होगी (6) 23 जुलाई के बाद में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान को शाम 5:00 बजे बाद अनुपति नहीं दी जायेगी। (7) पोस्टल वॉलेट नॉटिस रिमोट ई-वॉटिंग निर्देश को संदर्भ में और इच्छिया का लाभ उठाने के लिए गैर पंजीकृत सदस्यों के ई-मेल पंजीकरण प्रक्रिया है- कम्पनी की वेबसाइट www.continentalsecuritiesltd.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting.in पर भी उपलब्ध है। (8) MCA के अनुसार जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है वे शेयर ट्रान्सफर एजेंट को ई-मेल भेजकर अंतरण कर सकते हैं। bestaltair@gmail.com , continentalsecuritieslimited@gmail.com (9) ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद में नॉटिस की कॉपी कांफि, यूजर आई डी और पासवर्ड को साथ प्रक्रिया पिसत जायेगी। (10) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक हॉल्डिंग्स के संबंध में और कंपनी के शेयर ट्रान्सफर एजेंट यानी वॉलेट फाईनॉंशियल एण्ड कम्पनी सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक हॉल्डिंग्स के संबंध में अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें। (11) MCA सर्वूलर के संदर्भ में मतदान की लिख शर्तारिक रूप से वॉटक में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है ई-मतदान का प्रयोग करें, डाक पत्र हाई कॉपी और लिफाफा नहीं भेजा जायेगा, रिमोट ई-वॉट से सहमत हैं। (12) ई-वॉटिंग के भार में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में मेल करें evoting@cdslindia.com वैकल्पिक रूप से आप कांन्टिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड की श्रीमती प्रिथिा खण्डेवालाल से भी संपर्क कर सकते हैं। मेल continentalsecuritieslimited@gmail.com
कृते कांन्टिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड है। प्रवीता खण्डेवालाल (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्था: जयपुर दिनांक: 22 जून 2020

फार्म जी
अभिर्नाथ की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
(दिवाला तथा दिवालिया 'कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवालाल प्रस्ताव प्रक्रिया') विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत